

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छ.रा.वि.मं. की उत्तरदायी कंपनी)
कार्या. कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाव निर्माण संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. कोरबा

Email Address : eehtconst.ke@csehb.gov.in Ph. No. 07759-225005

क्रमांक / का.अभि. / अ.उ.दा. / नि. / सं. / कार्य /1354

कोरबा, दिनांक22/01/18

प्रति

वनमण्डल अधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल

जिला- सूरजपुर (छ0ग0)

विषय: 132 केव्ही विद्युत पारेषण लाइन विश्रामपुर से कौशलपुर 30.55 कि0मी0 के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान बावत् ।

सन्दर्भ:

1. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक भू-प्रबंध/विद्युत/एल-एम-479-164/174 रायपुर दिनांक 22/01/2018 ।
2. 132 केव्ही विद्युत पारेषण लाइन विश्रामपुर से कौशलपुर 30.55 कि0मी0 का फारेस्ट प्रपोजल क्रमांक FP/CG/TRANS/31081/2017.

महोदय

विषयान्तर्गत लेख है कि 132 केव्ही विश्रामपुर से कौशलपुर पारेषण लाइन का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत मार्ग में आने वाली वन भूमि कर व्यपवर्तन प्रस्ताव को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु वन विभाग की वेबसाइट पर प्रेषित किया गया था। उक्त प्रपोजल को माननीय अ0प्र0मु वन संरक्षक वन विभाग रायपुर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है , एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु पंजीयन क्रमांक FP/CG/TRANS/31081/2017 विभाग द्वारा प्रदान किया गया है ।

उपरोक्त प्रकरण के रजिस्ट्रेशन एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु आवश्यक राशि का रु 6000/- (छह हजार) डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 683851 रजिस्ट्रेशन शुल्क हेतु एवं रु 18000/- (अठारह हजार) डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 683852 प्रसंस्करण शुल्क हेतु एवं फॉर्म-ए कि हस्ताक्षरित प्रति मय मूल अभिलेख अधिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष इस पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

धन्यवाद ।

उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता

अउदा निर्माण संभाग छगराविपारेकंमर्या कोरबा

1. अधीक्षण अभियंता (अउदा:निपवंसं) वृत्त, छगराविपारेकंमर्या, बिलासपुर छ0ग0 को सूचनाार्थ ।